पत्रांक- 3/एम0-16/2024सा0प्र0.5632/ बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभागाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक समी प्रमण्डलीय आयुक्त सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक-05. 04. 2024

36

विषयः-- बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (समय--समय पर यथासंशोधित) का Master Circular तैयार करने के संबंध में। महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-06 दिनांक--04.01.2008 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 अधिसूचित है। बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम--3, 2008) की धारा--22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा--9(3) के परंतुक का शिथिलिकरण सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या--2579 दिनांक--02.07.2010 द्वारा किया गया एवं विधि विभाग की अधिसूचना संख्या--8951 दिनांक--17.11.2023 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023 अधिसूचित किये गये हैं। उक्त संशोधन से संबंधित सभी अधिसूचनाएँ एक साथ उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त नियमावली के प्रावधानों के संदर्भ में कार्रवाई किये जाने के क्रम में प्रशासी विभागों/ कार्यालयों में शंका की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना होती है और इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग में कतिपय रेफरेन्स भी प्राप्त होते हैं।

2. वर्णित स्थिति में मूल अधिनियम में विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा किये गये सभी संशोधनों को समावेशित कर Master Circular तैयार किया गया है।

3. सुलभ संदर्भ हेतु उक्त Master Circular की प्रति संलग्न है। अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन.

(डॉ० बी0 राजेन्दर) सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार विधि विमाग

।। अधिसूचनाएं ।।

पटना—15, दिनांक— 04 जनवरी, 2008 संख्या-एल0जी01-28/2007/लेज:06-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक-03 जनवरी, 2008 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार अधिनियम 03, 2008

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007

बिहार सचिवालय सेवा का गठन करने हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना।- चूँकि, फिटमेंट कमिटी की अनुशंसाओं के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा का गठन करना आवश्यक है;

और, चैूँकि, वित्त विभाग के ज्ञापांक-660, दिनांक-08 फरवरी, 1999 द्वारा राज्य सरकार ने बिहार सचिवालय सेवा गठित करने की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है;

और, चूँकि, परिस्थितियाँ ऐसी है कि बिहार सचिवालय सेवा का अधिनियम द्वारा गठन करने की दिशा में तुरत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए अब, भारत गणराज्य के अंठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

ì

2. परिभाषाएँ।- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(i) **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है 'बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007'

(ii) **'सचिवालय सेवा'** से अभिप्रेत है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी तथा उनसे प्रोन्नत अवर सचिव एवं उप-सचिव की कोटि के पद तथा ऐसे अन्य पद जो समय-समय पर इसमें शामिल किये जाय; (iii) 'संलग्न कार्यालयों' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संलग्न कार्यालय;

(iv) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग;

(v) 'ग्रेड' से अभिप्रेत है धारा-4 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड;

32

(vi) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संदर्भ में सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सेवा के सभी उच्चतर ग्रेड या पदों के संदर्भ में बिहार का राज्यपाल;

(vii) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि;

(viii) **किसी ग्रेड के संबंध में "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार"** से अभिप्रेत है सभी प्रयोजनों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार राज्य सरकार;

(ix) 'सीघी भर्ती' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति; तथा

(x) **'नियमावली'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-19 के तहत बनायी गयी नियमावली ।

3. बिहार सचिवालय सेवा का गठन। - किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री अथवा आदेश या नियम या परिपत्र में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग के स्थान पर बिहार सचिवालय सेवा का गठन किया जाता है। पूर्व से नियुक्त एवं प्रोन्नत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के सहायकों का संयुक्त एवं प्रोन्नत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के सहायकों का संयुक्त एवं प्रोन्नत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के सहायकों का त्यां प्रेव्त परं बिहार सचिवालय सेवा का गठन किया जाता है। पूर्व से नियुक्त एवं प्रोन्नत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त एवं प्रोन्नत सचिवालय एवं उच्चतर परों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग के सहायकों तथा उच्चतर परों के धारक स्वतः बिहार सचिवालय सेवा के सदस्य माने जायेंगे।

4. सेवा की संरचना।- इस सेवा में निम्नांकित ग्रेड के पद होंगे-

- ¹(i) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी;
- (ii) प्रशाखा पदाधिकारी एवं समतुल्य;
- (iii) अवर सचिव एवं समतुल्य;
- (iv) उप सचिव एवं समतुल्य;

¹ विधि विभाग को अधिसूचना सं**डव-8951** दिन्नंक-17.11.2023

(v) वैसे अन्य पद अथवा ग्रेड जिन्हें समय-समय पर इस सेवा में शामिल किया जाए।

5. संयुक्त पदक्रम सूची।- सभी विभागों और संलग्न कार्यालयों के लिए एक संयुक्त पदक्रम सूची होगी जिसका संधारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार करेगा।
6. प्राधिकृत स्थायी बल।- (1) सेवा की प्राधिकृत संख्या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व सहायक संयुक्त संवर्ग के लिए धारा-4 में उल्लिखित संबंधित य्रेडों की संख्या के अनुसार होगी जिसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और जो समय-समय पर यथावश्यक पदों के सृजन या समाप्ति या अन्यथा के अनुसार स्वतः पुनरीक्षित समझी जाएगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन मंजूर की गयी सेवा की प्राधिकृत संख्या के आधार पर संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा विभिन्न विभागों के साथ-साथ संलग्न कार्यालयों में पदों की पहचान, इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, की जायगी।

(3) संवर्ग नियंत्री प्राधिकार के परामर्श से सेवा में पद या पदों का सृजन या समाप्ति की जा सकेगी।

7. संवर्ग नियंत्री प्राधिकार के शक्तियों का प्रत्यायोजन।- (1) संवर्ग नियंत्री प्राधिकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संवर्ग नियंत्री प्राधिकार की कुछ शक्तियों को आयुक्त एवं सचिव/सचिव या विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) सेवा के किसी भी ग्रेड के सदस्य उस विभाग/कार्यालय के परिचालनात्मक नियंत्रण में होंगे जिसमें वे पदस्थापित होंगे।

8. आरक्षण। - इस सेवा में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे।

9. सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति।- (1) (i) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के 75 प्रतिशत पदों को सीधी भर्त्ती द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर भरा जाएगा।

(ii) शेष 25 प्रतिशत पदों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिकों की प्रोन्नति द्वारा भरा जायगा। ऐसी प्रोन्नति वरीयता एवं एतदर्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। 31

(2) इस धारा की उप-धारा (1) के खंड (i) में इस प्रयोजनार्थ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अर्हता, प्रक्रिया, पाठ्य-विवरण आदि का अवधारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से निर्मित नियमावली/विनियमावली के अनुसार कर सकेगा।

3.0

À

(3) नियत तिथि को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस ग्रेड में स्वत: सम्मिलित समझे जायेंगे:

परन्तु नियत तिथि को सेवा में स्वतः सम्मिलित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों में से 45 वर्ष से कम उम्र वाले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को नियत तिथि से दो वर्षों के अन्दर टंकण यंत्र पर टंकण एवं कम्प्यूटर से टंकण की सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि ऐसी सक्षमता नियत अवधि के भीतर प्राप्त न हो तो वे अगली वार्षिक वृद्धि के पात्र नहीं होंगे।

² [बिहार अधिनियम, 03, 2008 बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा 9(3) के परन्तुक में यह प्रावधान किया गया है कि नियत तिथि को सेवा में स्वतः सम्मिलित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों में से 45 वर्ष से कम उम्रवाले सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को नियत तिथि से दो वर्षों के भीतर कम्प्यूटर से टंकण की सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी यदि ऐसी सक्षमता नियत अवधि के भीतर प्राप्त नहीं करते है तो अगली वार्षिक वेतनवृद्धि के पात्र नहीं होंगे।

चूँकि उपर्युक्त प्रावधान के प्रभावी होने से बिहार सचिवालय सेवा के वैसे सदस्य जिनकी आयु अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि को 45 वर्ष से कम थी किन्तु वर्तमान में अथवा परीक्षा आयोजित होने की तिथि को 45 वर्ष से अधिक हो गयी है, भी वेतनवृद्धि अवरूद्ध होने की परिधि में आ जाते है। ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पूर्व की नियमावली 1992 के प्रावधानों के तहत वार्षिक वेतनवृद्धि की अर्हता प्राप्त कर चुके है, सेवा में सम्पुष्ट भी है एवं ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन प्राप्त करते हुए 15 से अधिक वार्षिक वेतनवृद्धि भी प्राप्त कर चुके है।

और चूँकि, इसके अतिरिक्त अंतिम राज्यावंटन के पश्चात् झारखंड से बिहार आवंटित कतिपय सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि लंबित है, जिनकी

² सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-2579 दिनांक-02.07.2010

सेवा औपबंधिक आवंटन के कारण झारखंड राज्य में सेवा सम्पुष्ट नहीं किये जा सके, उन्हें भी इस प्रावधान के कारण कठिनाई होगी। इस बीच राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दो वर्षों की कालावधि के भीतर कंम्प्यूटर जांच परीक्षा भी आयोजित नहीं की जा सकी है।

और चैूंकि बिहार अधिनियम 03, 2008 की धारा 9 (3) के परंतुक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से उत्पन्न होने वाली संभावित जटिलताओं के आलोक में इसका शिथिलीकरण अपेक्षित है।

इसलिए, अब, बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम-3, 2008) की धारा-22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा- 9(3) के परंतुक को प्रथम कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा आयोजित किये जाने की तिथि के पूर्व 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों के मामले में तुरंत के प्रभाव से शिथिल किया जाता है।]

10. परिवीशा। – सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति प्रारम्भ में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। यदि नियुक्ति प्राधिकार उचित समझे, परिवीक्षा की अवधि का विस्तार किया जा सकेगा किन्तु किसी भी स्थिति में परिवीक्षा की विस्तारित अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी। परिवीक्षा की विस्तारित अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी। परिवीक्षा की विस्तारित अवधि में भी सेवा के असंतोषजनक होने की दशा में व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकेगा।
11. प्रशिक्षण। – (1) परिवीक्षा के दौरान, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण लेने या ऐसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी जो संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाय।

(2) सेवा के सदस्यों की आगे प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वे प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान या ऐसे अन्य संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे:

परन्तु किसी कारण से ऐसे प्रशिक्षण का आयोजन संभव नहीं हो, तो संवर्ग नियंत्री प्राधिकार इस अपेक्षा को शिथिल कर सकेंगे। 12. सम्पुष्टि।- (1) परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ-साथ संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा अवधि पूरी करने तथा अपेक्षित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और टंकण यंत्र पर टंकण एवं कम्प्यूटर से टंकण की सक्षमता जौँच परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपुष्ट किया जा सकेगा ।

eð

(2) प्रथम आरंभिक वेतनवृद्धि के उपरान्त परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जौँच परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना कोई वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगी।

(3) इस धारा की उप-धारा (1) में किये गये प्रावधान के अनुसार विभागीय परीक्षा तथा धारा-9 की उप-धारा (3) के परन्तुक एवं इस धारा की उप-धारा (1) में किये गये प्रावधानों के अनुसार टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जौंच परीक्षा का संचालन राजस्व पर्षद् द्वारा किया जाएगा जिसके लिए पाठ्यक्रम एवं अर्हक अंक आदि का विनिश्चय, राजस्व पर्षद् के परामर्श से संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा नियमावली या विनियमावली के अनुसार किया जाएगा।

13. प्रोन्नति।- (1) सेवा में विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति राज्य सरकार द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जाएगी।

(2) ऐसी प्रोन्नतियों के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा, अर्थात "कालावधि" वही होगी जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाय।

14. प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति।- (1) प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति निम्नरूपेण की जाएगी:-

(क) प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में 80 प्रतिशत पद विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड से प्रोन्नति के द्वारा भरे जा सकेंगे;

(ख) शेष 20 प्रतिशत पद वैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों के बीच से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भरे जाएँगे जो सेवा में संपुष्ट हों और जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में पाँच वर्षों से अधिक की लगातार सेवा कर चुके हों।

(2) संवर्ग नियंत्री प्राधिकार बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियमावली या विनियमावली के अनुसार सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया, पाठ्य-विवरण आदि का विनिश्चय कर सकेगा।



(3) नियत तिथि को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस ग्रेड में स्वत: सम्मिलित समझे जायेंगे।

15. अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति।- (1) अवर-सचिव के ग्रेड में रिक्तियौं प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड से प्रोन्नति द्वारा भरी जायेगी।

(2) नियत तिथि को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के अवर सचिव के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस ग्रेड में स्वत: सम्मिलित समझे जायेंगे ।

16. उप-सचिव के ग्रेड में नियुक्ति।- (1) उप-सचिव के ग्रेड में रिक्तियाँ अवर-सचिव के ग्रेड से प्रोन्नति द्वारा भरी जायेगी।

(2) नियत तिथि को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के उप-सचिव के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस ग्रेड में स्वत: सम्मिलित समझे जायेंगे।

17. सेवा के सदस्यों का पदस्थापन।- सेवा के सदस्यों को इस अधिनियम की धारा-6 की उप-धारा-(2) में चिह्नित पदों से भिन्न पदों पर भी पदस्थापित किया जा सकेगा और समकक्ष पदों पर प्रतिनियुक्त भी किया जा सकेगा।

18. वरीयता। – (1) नियत तिथि से पूर्व किसी ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता उस तिथि से पूर्व यथा अवधारित उनकी पारस्परिक वरीयता के अनुसार विनियमित की जाएगी:

परन्तु यदि सेवा के ऐसे किसी सदस्य या सदस्यों की वरीयता उस तिथि के पूर्व विशिष्टत: अवधारित न की गई हो तो उनकी वरीयता का अवधारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

(2) किसी ग्रेड में स्वत: सम्मिलित सभी पदाधिकारी उन सभी पदाधिकारियों से वरीय होंगे जिनकी उस ग्रेड में नियुक्ति नियत तिथि के बाद की किसी तिथि से हुई हो।

(3) नियत तिथि के बाद किसी ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों की वरीयता निम्नलिखित रीति से विनियमित की जाएगी:-

(i) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड- (क) सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता सिर्फ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के मेधा सूची के क्रम में निर्धारित की जाएगी। किसी विशेष वर्ष में रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नति से नियुक्त व्यक्तियों से कनीय होंगे।

(ख) प्रोन्नति से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता उनकी प्रोन्नति की तिथि के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(ii) प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड- (क) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता संबंधित परीक्षाफल की मेधा सूची के क्रम में अवधारित की जाएगी और पूर्व की परीक्षा के आधार पर नियुक्त पदाधिकारी बाद की परीक्षा के आधार पर नियुक्त पदाधिकारियों से वरीय होंगे।

(ख) नियत तिथि के बाद प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता उनके इस प्रकार नियुक्ति आदेश से विनियमित होगी और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में उनकी वरीयता के अनुसार विनिश्चित होगी।

(ग) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्त पदाधिकारी किसी विशेष वर्ष में रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नति से नियुक्त पदाधिकारियों से वरीय होंगे। (iii) अवर सचिव, उप-सचिव आदि-नियत तिथि के बाद इस ग्रेड में प्रोन्नत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता उस आदेश के द्वारा विनियमित की जाएगी जिसके अधीन उनकी नियुक्ति हुई हो।

(4) परीक्षा के संचालन में, अनुशंसा प्राप्त होने में अत्यधिक विलम्ब होने या ऐसी परीक्षाओं/अनुशंसाओं के आच्छादित होने की दशा में वरीयता का अवधारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।

19. नियमावली बनाने की शक्ति।- (1) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति होगी।

(2) संवर्ग नियंत्री प्राधिकार, इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ सभी विषयों से संबंधित आवश्यक या संगत उपबंध करने के लिए ऐसी विनियमावलियों बना सकेगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली से असंगत न हो।

20. अवशिष्ट मामले।- इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली या विनियमावलियों से या इसके अधीन किये गए या जारी आदेशों या विशेष आदेशों से विशिष्टत: अनाच्छादित मामलों के संबंध में सेवा के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

21. कठिनाइयों का निराकरण।- इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के कार्यान्वयन में होनेवाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए समय-समय पर सरकार यथावश्यक सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगी।

22. शिथिल करने की शक्ति।- जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से व्यक्ति या पद के किसी वर्ग या कोटि के संबंध में इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों को शिथिल कर सकेगी।

23. निर्वचन।- जहाँ इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावलियों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ वह विषय संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा न्यायनिर्णीत होगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

24. निरसन एवं व्यावृत्ति।- (1) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग अधिनियम, 1989 (बिहार अधिनियम 9/1989), सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग (संशोधन) अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 24/1993) और सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) एतद् द्वारा निरसित की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियमों एवं नियमावली द्वारा/या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनी नियमावली द्वारा/या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार- राज्यपाल के आदेश से, (योगेन्द्र प्रसाद) सरकार के सचिव।

बिहार सरकार विधि विमाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक- 04 जनवरी, 2008

संख्या-एल0जी01-28/2007/लेज:07- बिहार विधानमंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2008 को अनुमत बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

BIHAR SECRETARIAT SERVICE ACT, 2007

AN

ACT

To constitute Bihar Secretariat Service

WHEREAS, it is necessary to constitute Bihar Secretariat Service in light of the recommendations of the Fitment Committee;

AND, WHEREAS, the State Government, vide memo no. 660, dated 8th February 1999 of the Finance Department has accepted the recommendations regarding constitution of Bihar Secretariat Service;

AND, WHEREAS, the circumstances exist to take immediate action to constitute the Bihar Secretariat Service by an Act;

NOW, THEREFORE, BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty eighth year of the Republic of India as follows:-

1. Short Title, Extent and Commencement.—(1) This Act may be called Bihar Secretariat Service Act, 2007.

(2) It shall extend to the Departments and Attached offices of the State Government.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.— In the Act, unless the context otherwise requires-

(i) 'Act' means the Bihar Secretariat Service Act, 2007;

24)

(ii) 'Secretariat Service' means the posts of Assistant Section Officers, Section Officers, Under-Secretary and Deputy-Secretary promoted from them and such other posts which may be included in this from time to time;

(iii) 'Attached Offices' means the attached offices as specified by the State Government;

(iv) 'Government' means the Personnel & Administrative Reforms Department of the State Government of Bihar;

(v) 'Grade' means the grade specified in section-4;

(vi) 'Appointing Authority' means Secretary, Personnel & Administrative Reforms Department in respect of Assistant Section Officers and the Governor of Bihar in respect of higher grades or posts;

(vii) 'Appointed Day' means the date of coming into effect of this Act;

(viii) 'Cadre Controlling Authority' in relation to any grade means the Department of Personnel and Administrative Reforms of the Government of Bihar for all purposes;

(ix) 'Direct recruit' means a person recruited on the basis of a competitive Examination held by the Bihar Staff Selection Commission;

(x) 'Rules' means the Rules made under section-19 of this Act.

3. Constitution of Bihar Secretariat Service.— Notwithstanding anything contrary in the decision, decree or order of a Court or Rules or instruction, the Bihar Secretariat Service is constituted in place of Joint Cadre of Assistants of Secretariat and Attached offices. The Assistant and holders of Higher posts of Joint Cadre of Assistant of Secretariat and attached offices appointed and promoted earlier shall be deemed to be automatically the members of the Bihar Secretariat Service.

4. Structure of Service.- The following grade of posts shall exist in this service-

(i) Assistant Section Officer;

(ii) Section officer and equivalent;

(iii) Under-Secretary and equivalent;

¹ विधि विभाग को अधिसूचन्द्र संख्या-8951 दिनंक-17.11.2023

(iv) Deputy-secretary and equivalent;

22

(v) Such other grades or posts, which may be included in this service from time to time.

5. Combined gradation List.— There shall be a single combined gradation list for all Departments and attached offices, which shall be maintained by the Cadre Controlling Authority.

6. Authorised Strength.— (1) The authorized strength of the Service shall be according to the strength of the respective grades mentained in section-4 for the erstwhile Joint Cadre of Assistants just prior to coming into effect of this Act, which shall be notified in the official gazette and shall be deemed to be revised automatically according to creation or abolition of posts or otherwise, as may be necessary from time to time.

(2) On the basis of sanctioned strength of the Service determined under subsection (1), the identification of posts in the government departments as well as in the attached offices may be done by the cadre controlling authority through a notification in this regard.

(3) The post or posts in the service may be created or abolished in consultation with the cadre controlling authority.

7. Delegation of powers of the cadre controlling authority.— (1) The cadre controlling authority may delegate some of the powers of the cadre controlling authority to the Commissioner & Secretary/Secretary of a Department or the Head of the Department by notification in official gazette.

(2) The members of the Service of any grade shall remain under the operational control of the Departments/Offices in which they are posted.

8. Reservation.— The provisions of reservation determined by the State Government from time to time shall remain in force in the recruitment/promotion in this service.

9. Appointment to the grade of Assistant Section Officers.— (1) (i) Seventy five percent of posts in the grade of Assistant Section Officer shall be filled by direct recruitment on the results of competitive examination held by the Bihar Staff Selection Commission for this purpose from time to time.



(ii) The remaing 25 percent posts shall be filled by promotion from the Upper Division Clerks of the Bihar Secretariat Clerical Service. Such promotion shall be made on the basis of seniority on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted for this purpose.

(2) The qualification, procedure, Syllabus etc. for the competitive examination for the purpose of clause (i) of Sub-section (1) of this section shall be determined by the cadre controlling authority according to rules/regulation made in consultation with the Bihar Staff Selection Commission.

(3) Persons appointed and working as Assistants of the Joint Cadre of Assistants of the Secretariat and attached offices on the appointed day shall be deemed to be automatically included in this grade:

Provided that from amongst such Assistant Section Officers who have been deemed to be automatically included in this service on the appointed day, the Assistant Section Officers having age below 45 years shall be required to pass the test for competency in typing on typewriter and typing on computer within two years from the appointed day. In case such competency is not obtained within the said period they will not become eligible for further annual increments.

⁴²[Proviso to Section 9(3) of the Bihar Act, 03, 2008 Bihar Secretariat Service Act-2007, a provision have been made that- "Provided that from amongst such Assistant Section Officers who have deemed to be automatically included in this service on the appointed day the Assistant Section Officers having age below 45 years shall be required to pass the test for competency of typing on Computer within two years from the appointed day. In case such competency is not obtained within the said period they will not became eligible for further annual increments.

Whereas, by the enforcement of above provision such members of Secretariat Service whose age were less than 45 years but at present or on the date of commencements of examination has been completed 45 years or more, will also come within the purview of withholding their annual increments. These Assistant Section Officers have already got the eligibility of annual

² सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-2579 रिनांक-02.07.2010

increments under the previous rules of 1992, also confirmed in service, they have got more than 15 increments and getting benefits of Assured career progration scheme,

20

And, whereas, a part from above the matter of confirmation of same of the Assistant Section Officers is pending who were provisionally allocated to the State of Jharkhand and their confirmation in services has not been made by State of Jharkhand. Would now face difficulty meanwhile within the period of two years of the enforcement of the above said Act the examination of computer competency has not been organized.

And, whereas, in the light of the expected complexity of retrospective enforcement of proviso to section 9(3) of Bihar Act, 03, 2008 it requires relaxation.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under the Section 22 of the Bihar Secretariat Services Act, 2007 (Bihar Act, 03, 2008) the State Government of Bihar hereby relaxes the proviso to Section 9(3) of the said Act with immediate effect with regard to the Assistant Section Officers who attain the age of 45 years on the date of commencement of the first test of typing competency on computer after the promulgation of the Act.]

10. Probation.— Every person directly recruited to the grade of Assistant Section Officer shall initially be appointed on probation. The period of probation shall be of two years from the date of appointment. The period of probation may, if the appointing authority deems fit, be extended but the total period of extension of probation shall not in any case exceed three years. In case of service being unsatisfactory in the extended period also, the service of the person may be terminated.

11. **Training.**— (1) During probation the person appointed by direct recruitment may be required to undergo such training and to pass such departmental examination as the cadre controlling authority may from time to time prescribe.

(2) The members of the service would not be considered for further promotion if they have not undergone a training course organised at the Administrative Training Institute or such other institute;

Provided that the cadre controlling authority may relax this requirement if for some reasons it is not possible to organize such training.

12. Confirmation.— (1) A person appointed on probation, after satisfactory completion of the probation period as well as on completion of required training and on passing of required Departmental Examination and passing the test for competency in typing on typewriter and typing on computer shall be confirmed by the appointing authority.

(2) No increments after the first initial increment shall be admissible to a person appointed on probation without passing the test for typing and computer competency.

(3) The Departmental Examination as per provision made in sub-section (1) of this section and the test for typing and computer competency as per provision made in proviso to sub-section (3) of section 9 and sub-section (1) of this section shall be conducted by the Board of Revenue for which the syllabus and qualifying marks etc. shall be determined by the cadre controlling authority according to Rules/regulation in consultation with the Board of Revenue.

13. **Promotion.**— (1) The promotion to the different grades in the service shall be given on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted by the State Government.

(2) The minimum qualifying service i.e. "Kalawadhi", for such promotions shall be as determined by the Personnel & Administrative Reforms Department from time to time.

14. Appointment to the grade of Section Officer.—(1) Appointment to the grade of Section Officer shall be made as follows:-

(a) Eighty percent of the posts in the grade of Section Officers shall be filled by promotion from the grade of Assistant Section Officers on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

(b) The remaining twenty percent of posts shall be filled through a Limited Competitive Examination conducted by the Bihar Public Service Commission from amongst the Assistant Section Officers who are confirmed in the service and have rendered continuous service more than five years in the grade of Assistant Section Officers.

18

(2) The procedure, syllabus etc. for the Limited Competitive Examination shall be determined by the cadre controlling authority according to Rules/regulation in consultation with the Bihar Public Service Commission.

(3) Persons appointed and working as Section officers of the Joint Cadre of Assistants of the Secretariat and Attached Offices on the appointed day shall be deemed to be automatically included in this grade.

15. Appointment to the grade of Under-Secretary.— (1) Vacancies in the grade of Under-Secretary shall be filled by promotion from the grade of Section officer.

(2) Persons appointed and working as Under-Secretary of the Joint Cadre of Assistants of the Secretariat and Attached Offices on the appointed day shall be deemed to be automatically included in this grade.

16. Appointment to the grade of Deputy-Secretary.— (1) Vacancies in the grade of Deputy-Secretary shall be filled by promotion from the grade of Under-Secretary.

(2) Persons appointed and working as Deputy Secretary of the Joint Cadre of Assistants of the Secretariat and Attached Offices on the appointed day shall be deemed to be automatically included in this grade.

17. Posting of members of the service.— The members of the service may be also posted to posts other than the posts identified in sub-section (2) of section 6 of this Act and deputation also may be made to equivalent posts.

18. Seniority.— (1) The relative seniority of members of the Service appointed to any grade before the appointed day shall be regulated by their relative seniority as determined before that day;

Provided that if the seniority of any such member or members of the service had not been specifically determined before that day, it shall be determined by the cadre controlling authority.



(2) All officers automatically included in a grade shall rank senior to all officers appointed to that grade with effect from any date after the appointed day.

(3) The seniority of persons appointed to any grade after the appointed day shall be regulated in the following manner:-

(i) Assistant Section Officer grade.— (a) The direct recruit shall be ranked inter-se only in the order of merit in which they are placed in the merit list of the Bihar Staff Selection Commission. They shall be ranked junior to the persons appointed through promotion against vacancies in a particular year.

(b) The inter-se seniority of persons appointed by promotion shall be determined according to the date of promotion.

(ii) Section Officer grade.— (a) The officers appointed through limited competitive examination shall be ranked inter-se in the order of merit in which they are placed at the competitive examination on the results of which they are appointed, the appointee of an earlier examination being ranked senior to those of a later examination.

(b) The inter-se seniority of the officers appointed by promotion after the appointed day shall be regulated by such order in which they are so appointed and shall be determined according to their seniority in the Assistant Section Officer grade.

(c) The officers appointed through limited competitive examination shall rank senior to the officers appointed by a promotion against vacancies in a particular year.

(iii) Under-Secretary, Deputy-Secretary etc.- The inter-se seniority of officers promoted to this grade after the appointed day shall be regulated by such order under which they are so appointed.

(4) In case of undue delay in the conduct of examination, receipt of recommendation or overlap of such examinations or recommendations, the seniority may be determined by the cadre controlling authority.

19. Power to make Rules.— (1) The State Government shall have the powers to make Rules to implement the provisions of this Act.



(2) The Cadre Controlling Authority may make such regulations which are not inconsistent to this Act or the Rules made under the Act, for the purpose of making necessary or consistent provision on all subjects for the effective implementation of the Act and the Rules.

16

20. Residuary matters.— With regard to matters not specifically covered by the Act or the Rules made under the Act or by Regulations or Orders made or issued thereunder or by special orders the members of the Service shall be governed by the Rules, Regulations and Orders applicable to the officers/employees of the State Government at appropriate level.

21. Removal of difficulties.— The Government may, from time to time, issue such general or special direction as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of this Act.

22. Power to relax.— Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do; it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this Act with respect to any class or category of persons or posts.

23. Interpretation.— Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of this Act or the Rules made under it, or the Regulations made thereunder, the matter shall be decided by the cadre controlling authority whose decision thereon shall be final.

24. Repeal and Savings.— (1) The Joint Cadre of Assistants of Secretariat and Attached offices Act, 1989 (Bihar Act 9 of 1989), the Joint Cadre of Assistants of Secretariat and Attached Offices (Amendment) Act, 1993 (Bihar Act 24 of 1993) and the Joint Cadre of Assistants of Secretariat and Attached offices Rules, 1992 (as amended from time to time) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken in the exercise of any power conferred by or under the said Acts and the Rules shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act or the Rules made under this Act as if this Act or the Rules made under this Act as if this Act or the Rules made under this Act were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By order of the Governor of Bihar, Yogendra Prasad Secretary to Government.